

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक 19.08.2026

◆ □ थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा 25000 रुपये के इनामिया वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल के कुशल नेतृत्व में थाना कंदवा की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.08.2026 को मु0अ0सं0 25/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 109(1) बीएनएस में वांछित इनामिया अभियुक्त वाहन स्वामी महाबीर कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हसनचक रहिमनपुर थाना अथमल गोला पटना बिहार को उसके घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में दिनांक-12/04/2026 को थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन से 12 राशि गोवंश जिन्दा बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 109(1) बीएनएस थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था तथा बरामद वाहन का वाहन स्वामी महाबीर कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह फरार चल रहा था जिसे श्रीमान् पुलिस अधीक्षक चन्दौली महोदय द्वारा 25000 रुपया का इनामिया घोषित किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

स्वामी महाबीर कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हसनचक रहिमनपुर थाना अथमलगोला पटना बिहार उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 25/2026 धारा धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 109(1) बीएनएस थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष कन्दवा विनोद कुमार अंचल
- 2- उ0नि0 वीरेन्द्र यादव थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 3-हे0का0 भरत सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 4-का0 आशीष कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 5-का0 मनोज यादव (सर्विलांस सेल) जनपद चन्दौली